न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 145 / 2023
अनवान : –

1. अजय कुमार पुत्र डुगरदत जाति जाट निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. बनवारी पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।
2. मंजू पुत्री डुंगरराम जाति जाट निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 27/12/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ढीलकी जाटान तहसील नोहर के खसरा न0 111 क 2.916 हैक्ट व खसरा न0 120 की 0.822 हैक्ट भूमि में से 153 हिस्सा भूमि वादी के पिता डुंगरदत व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। मुताबिक खाता विभाजन उपरोक्त भूमि में से खसरा न0 111 की 2.916 हैक्ट में से 0.920 हैक्ट खसरा न0 120 की 0.822 हैक्ट में से 0.063 हैक्ट भूमि वादी के पिता के नाम दर्ज होनी थी तथा इसी अनुसार निर्विवाद रूप से कब्जा काश्त में चली आ रही है। विवादित भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण ने सहमति से खाता विभाजन करवाया था जिसमें ख0न0 201 की 0.063 हैक्ट व खसरा न0 111 / 1 की 0.417 हैक्ट भूमि प्राप्त हुई जो की गलत दर्ज है। खसरा न0 111 / 1 की 0.417 हैक्ट भूमि की बजाय 0.920 हैक्ट भूमि दर्ज होनी चाहिए थी तथा बचा हुआ रकबा आज तक रिकार्ड में किसी के नाम दर्ज नही है। अतः खसरा न0 111 / 1 की 0.417 भूमि की बजाय 0.920 हैक्ट भूमि पर वादी काबिज चला आ रहा है। नक्शा तरमीम सही है तथा रिकार्ड में कुल क्षेत्रफल कम है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:42:52 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी व प्रतिवादी स0 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया [illegible] निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही

है। प्रतिवादी संख्या 2 को अधिवक्ता वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई कि रोही मौजा ढीलकी जाटान के खसरा न0 111/1 की 0.417 हैक्ट भूमि दर्ज है जबकि उक्त खसरा में 0.920 हैक्ट भूमि दर्ज होनी थी अतः अजय कुमार व मन्जु के बहिब खसरा न0 111/1 की कुल 0.417 हैक्ट भूमि के स्थान पर 111/1 की 0.920 हैक्ट भूमि किया जाना उचित है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि का सहमति से खाता विभाजन हुआ था। ख0न0 201 की 0.063 हैक्ट व खसरा न0 111/1 की 0.417 हैक्ट भूमि प्राप्त हुई जो की गलत दर्ज है। खसरा न0 111/1 की 0.417 हैक्ट भूमि की बजाय 0.920 हैक्ट भूमि दर्ज होनी चाहिए थी तथा बचा हुआ रकबा आज तक रिकार्ड में किसी के नाम दर्ज नही है। अतः खसरा न0 111/1 की 0.417 भूमि की बजाय 0.920 हैक्ट भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिब काबिज चले आ रहे है। नक्शा तरमीम सही है तथा रिकार्ड में कुल क्षेत्रफल कम है। अतः खसरा न0 111/1 की 0.417 हैक्ट भूमि के स्थान पर 0.920 हैक्ट भूमि दर्ज की जावे। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढीलकी जाटान के ख0न0 111/1 की 0.417 हैक्ट भूमि दर्ज है जबकि खसरा न0 111/1 की 0.417 हैक्ट भूमि के स्थान पर 0.920 हैक्ट भूमि दर्ज होनी थी। उक्त वाद भूमि के संबंध में तहसीलदार नोहर द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई कि खसरा न0 111/1 की 0.417 हैक्ट के स्थान पर 0.920 हैक्ट भूमि किया जाना उचित है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 को अधिवक्ता वादी ने तर्क अंकित किया। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूत तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है। यह घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा ढीलकी जाटान तहसील नोहर के जमा संख्या 41/52 के खसरा न0 111/1 की 0.417 हैक्ट भूमि की बजाय 0.920 हैक्ट भूमि दर्ज का संशोधन किया जाता है। यदि किसी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:42:52 IST
Reason: SelfAttested

सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27/12/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:42:52 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 145/2023

अनवान : –

1. अजय कुमार पुत्र डुगरदत जाति जाट निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. बनवारी पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।
2. मंजू पुत्री डुंगरराम जाति जाट निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 145 सन 2023 निर्णय दिनांक 27/12/2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा ढीलकी जाटान तहसील नोहर के खाता संख्या 41/52 के खसरा न0 111/1 की 0.417 हैक्ट भूमि की बजाय 0.920 हैक्ट भूमि दर्ज का संशोधन किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/12/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:42:52 IST
Reason: SelfAttested